

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषित :

कुलगुरु,
समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(2)आर.बी./2021पार्ट-2/2947

दिनांक: मई, 2025
03 जून

विषय :- डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से प्राप्त पत्र क्रमांक ई-3198/जी.एस दिनांक 21.05.2025 बाबत " डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश) के कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संबंध में" की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(मुकेश कुमार कलाल)
उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०
लखनऊ-226027

संख्या: ई 3198/जी०एस०
दिनांक : मई 21, 2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-3103/2025, दिनांक मई 20, 2025 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

 20.05.25

(श्रीप्रकाश गुप्ता)

विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-3103/2025

दिनांक : मई 20, 2025

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 09.06.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


20.05.25
विशेष सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
VICE CHANCELLOR FOR DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH
UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)**

Advt. No. : E-3103 /2025

Dated : May 20, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before **09.06.2025 (Monday)**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.


Special Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.